महत्वपूर्ण

संख्या–1471 /60–3–2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला संचालन समिति,
राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2015

विषयः– उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के प्राविधानों के अंतर्गत पीड़िता के बच्चों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 (यथासंशोधित) लागू की गयी है। इस नियमावली के संलग्नक–1 में अपराध पीडित महिलाओं को कोष के अधीन प्रदत्त सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। नियमावली के संलग्नक–1 के खण्ड–क में पीड़िताओं के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान उल्लिखित हैं। इस कोष से जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को निर्धारित अवधि के अंतर्गत आर्थिक राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराये जाने के प्राविधान हैं। कोष के अंतर्गत पीड़िता को आर्थिक राहत दिये जाने से संबंधित विवरण/प्रकिया का उल्लेख नियमावली के संलग्नक–1 में किया गया है।

2. कोष नियमावली के संलग्नक–1 बिन्दु संख्या–2 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता/विशेष अधिनियम की धारा–304ख (दहेज मृत्यु) के प्रकरण जिसमें अभियुक्त को 07 वर्ष अन्यून सजा का प्राविधान है एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0–3.00 लाख है, इस स्थिति में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो जाने पर पीड़िता के बच्चों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। उल्लेखनीय है कि जनपदवार गठित जिला संचालन समिति के स्तर पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ऐसे प्रकरणों में पीड़िता के बच्चों के बैंक खाते खुलवाये जाने मे जनपद स्तर पर व्यावहारिक कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही हैं। धारा–304ख (दहेज मृत्यु) के प्रकरण मे प्रायः बच्चों का पिता/पिता पक्ष आरोपी होता है, ऐसी स्थिति में उसके संरक्षण में बच्चे के नाम का बैंक खाता खुलवाया जाना समीचीन नहीं है।

3. कोष नियमावली के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता/विशेष अधिनियम की धारा 376–क (बलात्कार जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वह स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुँच जाये) के प्रकरण में अभियुक्त को 20 वर्ष से अन्यून सजा का प्राविधान है, मे पीड़िता को

C-2,tandan ji-go

रू0–10.00 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने की व्यवस्था नियमावली में विद्यमान है यह धनराशि स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुँची पीड़िता को स्वयं एवं पीड़िता की मृत्यु होने की दशा में पीड़िता के बच्चों, यदि नहीं हो तो पीड़िता के माता–पिता को दो किश्तों में दिये जाने का प्राविधान है। उल्लेखनीय है कि स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुँची पीड़िता द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी धनराशि का स्वयं उपयोग कर पाना संभव नहीं है।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–2 में भारतीय दण्ड संहिता/विशेष अधिनियम की धारा–304ख (दहेज मृत्यु) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता के बच्चों को दी जाने वाली धनराशि को बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु उपयोग किये जाने के दृष्टिगत इन अवयस्क बच्चों का बैंक खाता सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के संरक्षण में खुलवाया जाय ताकि इस धनराशि का समुचित उपयोग हो सके। यह धनराशि बच्चों के वयस्क होने पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

साथ ही, कोष नियमावली के संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–3 में भारतीय दंड संहिता/विशेष अधिनियम की धारा 376–क (बलात्कार जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता स्थायी निष्क्रियता में पहुँच जाए) के अंतर्गत पीड़िता को प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति विषयक धनराशि का उपभोग किये जाने हेतु पीड़िता के माता/पिता/पति, जो भी लागू हो तथा वे अभियुक्त न हो, उसके नाम से बैंक खाता खोला जायेगा तथा पीड़िता के अनाथ होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी उसका संरक्षक होगा एवं उसके नाम से बैंक खाता खोला जायेगा जिससे कि क्षतिपूर्ति धनराशि का पीड़िता की देखभाल के लिये सम्यक उपयोग किया जा सके।

तद्नुसार कृपया उपरोक्तांकित प्रकरणों में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1471(1)/60–3–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, महिला कल्याण विभाग/विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष लखनऊ।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

C-2,tandan ji-go

6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, उ0प्र0।
8. कोष कार्यालय, चतुर्थ तल योजना भवन, लखनऊ।
9. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइटपर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उपसचिव।

C-2,tandan ji-go